अवमानना प्रकरण / कोर्ट केस
अत्यावश्यक

राजस्थान सरकार
निदेशालय पशुपालन

क्रमांक : एफ.वी.5(1)(समेकित)स्था / अ / कोर्टकेस / पार्ट / 4067 जयपुर, दिनांक 26/10/2020

समस्त अतिरिक्त निदेशक
समस्त संयुक्त निदेशक,
उपनिदेशक,पशुपालन विभाग, कुचामनसिटी

विषय :– आवश्यक अस्थाई आधार पर कार्यरत पशु चिकित्सा अधिकारियों को याचिका दायर किये जाने की तिथि से वेतन रूपये 56,100 / – के एरियर के भुगतान बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय के पारित आदेश दिनांक 20.1.2020, 30.1.2020, 17.2.2020, 19.2.2020 एवं 03.02.2020 में पारित निर्णय की पालना में नियत पारिश्रमिक पर आवश्यक अस्थाई आधार पर कार्यरत पशु चिकित्सा अधिकारियों को याचिका दायर किये जाने की तिथि से पशु चिकित्सा अधिकारियों को वेतन श्रृंख्ला एल–14 का न्यूनतम वेतन without any allowances रूपये 56,100 / – प्रतिमाह का भुगतान करने बाबत प्रकरण में विभागीय वरिष्ठ लेखाधिकारी द्वारा निम्न सूचना चाही गई है :–

1. वित्त विभाग के आदेश कमांक एफ1(4)एफडी / जीएफएण्डएआर / 2006 दिनांक 31.03.2020 के तहत सभी याचिकाकर्ताओं को मार्च,2020 के वेतन की राशि को उक्त आदेशों के अनुसार डेफेर मानते हुए 15 दिवस का ही भुगतान किया जाना है। पूर्व में प्रेषित डयू–डान स्टेटमेन्ट में माह मार्च,2020 का रूपये 56,100 / – की दर से डयू दर्शाया गया है जबकि मार्च,2020 में 15 दिवस का ही भुगतान डयू दर्शाते हुए अधिक भुगतान की राशि को समायोजित किया जाना है।
2. याचिका संख्या 39 / 2017 में 14 याचिका कर्ताओं को याचिका दायर करने की दिनांक 21.12.2016 से 31.12.2016 तक का एरियर 56,100 / – की दर से दर्शाया गया है जबकि सातवां वेतन आयोग का नगद लाभ दिनांक 01.01.2017 से देय है अतः दिनांक 21.12.2016 से 31.12.2016 तक का तत्तसमय पशु चिकित्सा अधिकारियों की वेतन श्रृंख्ला पी.बी.–3 एवं ग्रेड पे 5400 रूपये, कुल रूपये 21,000 / – की दर से बनाया जाना है।
3. आवश्यक अस्थाई आधार पर कार्यरत पशु चिकित्सा अधिकारी जिनकी सेवा अवधि दिनांक 31.5.2020 तक की है उनका डयू डान स्टेटमेन्ट 31.5.2020 तक का ही बनाया जाना अपेक्षित है।

अतः आपके अधिनस्थ नियत पारिश्रमिक पर आवश्यक अस्थाई आधार पर कार्यरत पशु चिकित्सा अधिकारियों को किये गये भुगतान बाबत उक्त सूचना को समाहित करते हुए नवीनतम डयू–डान स्टेटमेन्ट बनाकर लेखाकर्मी से प्रमाणित करवाकर सूचना ddit.ahd@rajasthan.gov.in पर दिनांक 28.10.2020 तक भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देवें।

अतिरिक्त निदेशक
(फार्म एवं सम्पदा)

Joushi
Letter523